न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2019 (डूंगरपुर डिक्री)

कालुराम पिता भुरा रेबारी, निवासी बुचियाबडा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।

.... अपीलान्ट

बनाम

1. सवजी पिता कुरिया रेबारी, निवासी बुचियाबडा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।
2. अर्जुन पिता नाथा रेबारी, निवासी बुचियाबडा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।
3. गरवर पिता नाथा रेबारी, निवासी बुचियाबडा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा
दिनांक 22.10.2019 प्र.सं. 41/2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री नागेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री अब्दुल सलाम गौरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगणप

———::———

निर्णय **दिनांक 12–04–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रास्ता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव बुचियाबडा के कृषक होकर खेत पास–पास स्थित हैं। प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं। वादी के खाते की आराजी नंबर 707 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, 709 रकबा 14 बिस्वा, 711 रकबा 17 बिस्वा, 712 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 713 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 714 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि आने–जाने हेतु एक मात्र 12 फिट का रास्ता आराजी नंबर 727 रकबा 11 बीघा से होकर है जो प्रतिवादीगण के खातेदारी एवं स्वामित्व की है तथा 12 फिट चौडा रास्ता आराजी नंबर 798 के पूर्व से है, जिससे वादी आवागमन करता है। वादी इसी रास्ते का अपने बाप–दादाओं के समय से उपयोग करते चले आ रहे हैं। वादी आराजी नंबर 727 रकबा 11 बीघा में 12 फिट रास्ते का उपयोग छः पीढ़ियों से अर्थात 100 वषो से चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने करीब 2–3 वर्ष पूर्व उक्त रास्ता अचानक बन्द कर दिया एवं आने–जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। वादी आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 727 रकबा 11 बीघा से आराजी नंबर 708 जो श्रीमती कमला के खातेदारी की है के दक्षिण–उत्तर दिशा से पूर्व दिशा में आराजी से सटकर 100 वर्षो से आराजी नंबर 707 में आता जाता है। अतः वादी को उक्त आराजियात से 12 फिट का रास्ता दिलाया जावे तथा विकल्प में आराजी नंबर 727 के पूर्व दिशा से सटे आराजी नंबर 705 की तरफ से रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियां कायम की गयी तथा अपने निर्णय दिनांक 22–10–2019 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13–11–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री अब्दुल सलाम गौरी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 717, 718 व 719 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है क्योंकि वादी/अपीलान्ट द्वारा आराजी नंबर 717, 718 व 719 से रास्ता नहीं चाहा गया है ऐसी स्थिति में इन आराजियात के खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। अपीलान्ट डी.एल.सी. दर से रास्ते की राशि चुकाने को तैयार है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादी को उसके खाते की आराजी नंबर 707, 709, 711, 712, 713, 714 में आने–जाने के लिए मौका पर्चा में दर्शित ''बी'' रास्ता दिलाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट के पास 2–3 वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं, वहां से रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 717, 718 एवं 719 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि वादी द्वारा आराजी नंबर 717, 718 एवं 719 से किसी प्रकार का रास्ता नहीं चाहा गया बल्कि अन्य आराजी नंबर 727 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता चाहा गया है जिसके खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आराजी नंबर 717, 718 एवं 719 से जो गलियारा बना हुआ है उसकी चौड़ाई मात्र 8 फिट 6 ईंच है, जिससे कृषि उपकरण लाना ले–जाना सम्भव नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र आराजी नंबर 717, 718 एवं 719 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर वाद खारिज किया है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उपलब्ध मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विधि के आलोक में निर्णय पारित करें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested